23 मार्च, 2021 को पूर्वाह्न 11:30 बजे आयोजित दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के शासी निकाय की चौथी बैठक का कार्यवृत्त।

प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध** में दी गई है।

सुश्री शकुंतला डी. गामलिन, शासी निकाय की अध्यक्ष एवं सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि शासी निकाय (जीबी) की पिछली बैठक 19 सितम्बर 2019 को आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय निधि के अंतर्गत आने वाली योजनाएं मुख्य रूप से प्रदर्शनियों को सहायता प्रदान करती हैं | कोविड 19 के कारण ये गतिविधियाँ नहीं हो पा रही थी उन्होंने डॉ. प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव,डीईपीडब्ल्यूडी से शासी निकाय के विचार हेतु एजेंडा बिंदुओं को संक्षेप में समझाने का अनुरोध किया।

2. डॉ. प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि की स्थापना के बाद से शासी निकाय की तीन बैठकें क्रमश: 09.01.2018, 30.07.2019 और 19.09.2019 को आयोजित की गईं और शासी निकाय के विचारार्थ कायसूची पर एक प्रस्तुति दी |

3. शासी निकाय द्वारा लिए गए कार्यसूची-वार निर्णयों को संक्षेप में नीचे दिया गया है:-

कार्यसूची मद	शासी निकाय के निर्णय/अवलोकन
कार्यसूची मद 1: 19 सितम्बर, 2019 को आयोजित शासी निकाय की तीसरी बैठक में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट।	• शासी निकाय को सूचित किया गया कि सूरजकुंड मेले के लिए एनएचएफडीसी (16,18,300/-) को तथा अमेरिका के कैटलिना चैनल में तैराकी के लिए सतेंद्र सिंह, पैरा तैराक (4,24,082) को धनराशि जारी कर दी गई है। • राहत केंद्र (रिलीफ सेंटर), मणिपुर ने मई, 2021 में अपना कार्यक्रम पुनर्निर्धारित किया	राहत केंद्र को सैद्धांतिक मंजूरी 5 मार्च 2021 को दी गई थी और संगठन द्वारा नियम और शर्तें स्वीकार किए जाने के बाद धन जारी किया जाएगा। • शासी निकाय ने नोट किया कि मेसर्स सेंटर फॉर मार्केट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने 29.01.2020 को एक प्रस्तुति दी थी और उन्हें एक संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी, जिसका इंतजार किया जा रहा है। शासी निकाय (जीबी) ने सलाह दी कि इस मामले पर उनके साथ फॉलो-अप किया जा सकता है।

	• शासी निकाय ने एनआईटी कुरुक्षेत्र में आयोजित राष्ट्रीय आईटी प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को यात्रा भत्ते के लिए 12 लाख रुपये (लगभग) की प्रतिपूर्ति के संबंध में उन दिव्यांगजन प्रतिभागियों को राशि जारी करने का निर्णय लिया जिनके पास पूरे दस्तावेज यानी कम से कम एक तरफ की टिकट की प्रतिलिपि और बैंक खाते का विवरण हैं । • शासी निकाय ने सन्दर्भ लिया कि दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के नाम पर नया बैंक खाता अक्टूबर, 2020 में एसबीआई, शास्त्री भवन में खोला गया था। जेएस और सीईओ के साथ-साथ श्री केवीएस राव और श्री विकास प्रसाद अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी हैं। • शासी निकाय को सूचित किया गया कि स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा प्रस्तावों पर विचार किया गया और तदनुसार एनएचएफडीसी को धन जारी किया गया (सूरजकुंड मेला,2019 के लिये 20 लाख रूपये), सुश्री सुवर्णा राज, खिलाडी (3,74,461 रूपये) और सुश्री शबाना, खिलाडी (62,049 रूपये)| स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर शासी निकाय के अध्यक्ष की मंजूरी प्राप्त (पिंगलाक्षी, ओडिशा (12,37,700 रूपये) द्वारा प्रदर्शनियों के आयोजन के संबंध में, नागदा ज़ेनिथ,म.प्र. (15 लाख रूपये), इंटीग्रेटेड (8,75,500 रूपये) और श्री नवदीप, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी) (1.5 लाख रूपये) की गई थी • पिंगलाक्षी, ओडिशा पहले ही फरवरी, 2020 में प्रदर्शनी आयोजित कर चुका है, जबकि अन्य दो संगठन, नागदा ज़ेनिथ,म.प्र. और इंटीग्रेटेड, वाराणसी ने मई, 2021 के लिए अपने कार्यक्रम को पुनर्निर्धारित किया है। • शासी निकाय ने एनएचएफडीसी, सुवर्णा राज और शबाना को धन जारी करने के लिए अपनी कार्योत्तर मंजूरी दे दी और योजना के अनुसार अन्य तीन संगठनों को धन जारी करने की भी मंजूरी दे दी। नवदीप को 1.5 लाख रुपये जारी करने के संबंध में, शासी निकाय ने भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) से एनओसी की उपलब्धता के अधीन मंजूरी दे दी। • शासी निकाय को सूचित किया गया कि दो समितियां को अर्थात् (i) सहायता के नए क्षेत्रों को शामिल करना और संशोधित योजना दिशानिर्देशों के लिए सुझाव देना तथा (ii) राष्ट्रीय कोष की लेखांकन प्रक्रिया विकसित करने के लिए गठित किया गया है। पहली समिति की बैठक दिनांक 08.04.2021 को होगी | दूसरी समिति के संबंध में, लेखांकन प्रक्रिया का मसौदा तैयार किया गया है और इसे अंतिम रूप देने के लिए विचार-विमर्श किया जा रहा है।

कार्यसूची मद 2**:** राष्ट्रीय निधि के योजनान्तर्गत प्राप्त वित्तीय सहायता हेतु नवीन प्रस्तावों पर विचार।	• शासी निकाय ने नोट किया कि राष्ट्रीय निधि के तहत वित्तीय सहायता के लिए 28 नए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से 11 प्रस्ताव प्रदर्शनियों (1 क्षेत्रीय और 10 राज्य स्तरीय) के लिए हैं और 17 उच्च समर्थन आवश्यकताओं के लिए हैं। शासी निकाय ने सुझाव दिया कि इन प्रस्तावों को जल्द से जल्द विचार के लिए जेएस और सीईओ के तहत स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखा जा सकता है। • शासी निकाय ने स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर व्यक्तियों/संगठनों को धन जारी करने के प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए शासी निकाय के अध्यक्ष को अधिकृत किया। ऐसे मामलों में, अगली बैठक में शासी निकाय का कार्योत्तर अनुमोदन लिया जाए।
कार्यसूची मद 3**:** सीए फर्म के अनुबंध को बढ़ाना और पुराने मामलों को आगे बढ़ाने के लिए सीए के बिलों के भुगतान जारी करना।	• शासी निकाय ने नोट किया और मेसर्स दुबे पांडे एंड कंपनी, सीए को पुराने मामलों को आगे बढ़ाने के लिए बिलों के भुगतान के लिए 13,45,200 रुपये के भुगतान के लिए कार्योत्तर मंजूरी दे दी। • शासी निकाय ने रिटर्न दाखिल करने, धारा 80जी के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन सहित ऑडिट कार्य के लिए फंड के ऑडिटर के रूप में दुबे पांडे की नियुक्ति को 01.04.2020 से अगले दो वर्षों के लिए 7 लाख रुपये की लागत से भुगतान सहित समान नियमों और पर जीएसटी सहित, जैसा कि पिछले वर्ष के लिए किया गया था, बढ़ाने को मंजूरी दे दी।
कार्यसूची मद 4**:** दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए पूर्ववर्ती ट्रस्ट फंड और दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के मौजूदा फंड को नए खाते में स्थानांतरित करना, जिसका नाम है 'दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि'।	• शासी निकाय ने निर्णय लिया कि पूर्ववर्ती ट्रस्ट फंड और दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय कोष के बचत खाते में रखी जाने वाली न्यूनतम राशि के मामले में सीए की राय ली जा सकती है। इस संबंध में सीए फर्म को तुरंत पत्र लिखा जाए । • शासी निकाय ने नोट किया कि 75 करोड़ रुपये की एफडी इस महीने में परिपक्व हो जाएगी। राष्ट्रीयकृत बैंकों से कोटेशन प्राप्त किए जा रहे हैं ताकि उच्चतम ब्याज दर देने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक की एफडी में निवेश किया जा सके। • शासी निकाय ने शासी निकाय, डीईपीडब्ल्यूडी के अध्यक्ष को राष्ट्रीयकृत बैंकों में उच्चतम ब्याज दर पर एफडी में धन निवेश करने के लिए अधिकृत किया।
कार्यसूची मद 5**:** संसद की सलाहकार समिति की बैठक	• शासी निकाय ने नोट किया कि सलाहकार समिति द्वारा सुझाए गए अनुसार कार्रवाई की गई है जैसे कि समाचार पत्रों में एक पूर्ण पृष्ठ विज्ञापन जारी करना, विभाग की वेबसाइट और सोशल मीडिया पर डेटाबेस अपलोड करना।

कार्यसूची मद 6**:**
राष्ट्रीय निधि के अंतर्गत वर्तमान स्टाफ सदस्यों का विस्तार

- यह नोट किया गया कि राष्ट्रीय निधि को स्थापना के बाद से कोई स्थायी सचिवालयी समर्थन नहीं मिला है, जिसने इसके कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जैसा कि इसके धन के कम उपयोग से पता चलता है। यह सुझाव दिया गया था कि राष्ट्रीय निधि को ढांचागत (स्केलटल) सचिवालय स्टाफ की आवश्यकता है जिसका नेतृत्व एक अनुभाग अधिकारी (वेतन स्तर-8) और 2 एएसओ (वेतन स्तर-7), 2 यूडीसी (वेतन स्तर-5) और 2 एलडीसी/डीईओ (वेतन स्तर-3) द्वारा किया जाएगा | एक समिति जिसमें श्री के.वी.एस. राव, निदेशक; श्री क्षितिज मोहन, निदेशक, आईएफडी और श्री सीताराम यादव, उप सचिव का गठन ऊपर उल्लिखित पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की भर्ती/चयन करने और नियुक्ति के लिए जेएस और सीईओ, राष्ट्रीय कोष को सिफारिश करने के लिए किया गया है।
- अंतरिम अवधि में, शासी निकाय ने 24.03.2021 से एक और वर्ष के लिए मासिक पारिश्रमिक में 15% की वृद्धि के साथ श्री गुलशन कुमार वर्मा, सहायक और सुश्री पूजा मलिक, सहायक की सेवाओं के विस्तार को मंजूरी दे दी।

कार्यसूची मद 7**:**
गतिविधियों की योजना 2021-22

- शासी निकाय ने वर्ष 2021-22 के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ तय कीं:-
- एनएचएफडीसी और नेशनल ट्रस्ट के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एक-एक प्रदर्शनी।
- एनआई/सीआरसी के माध्यम से दस राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर की प्रदर्शनियाँ।
- एनएचएफडीसी से सभी राज्यों में प्रदर्शनियां आयोजित करने का अनुरोध किया जा सकता है।
- समिति की अनुशंसा के अनुसार योजना के अंतर्गत नये घटक शामिल किये जायेंगे।
- योजना को प्रचार-प्रसार और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करके लोकप्रिय बनाया जाएगा |
- आरबीआई बॉन्ड में करना होगा निवेश |
- धारा 80जी के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और दान प्राप्त करने का विकल्प तलाशा जाएगा।
- शासी निकाय ने सिफारिश की कि सचिवालय राष्ट्रीय निधि के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन में राष्ट्रीय संस्थान और समेकित क्षेत्रीय केंद्र को भी शामिल कर सकता है और कार्यक्रम के विस्तार की दिशा में भी काम कर सकता है।

कार्यसूची मद 8**:**
वर्तमान निधि स्थिति

- शासी निकाय ने वर्तमान निधि स्थिति को निम्नानुसार नोट किया:

करोड़ रूपये में

क्र. सं.	**उपलब्ध निधियां**	**न्यास निधि**	**राष्ट्रीय निधि**	**कुल**
1.	सावधि जमा	270.70	20.05	290.75
2.	बचत बैंक खाता	45.35	10.38	55.73
	कुल	**316.05**	**30.43**	**346.48**

कार्यसूची मद 9**:** मीडिया प्रचार के लिए किए गए प्रयास	• शासी निकाय ने प्रचार के लिए किए गए निम्नलिखित प्रयासों को नोट किया :- • 200 राष्ट्रीय समाचार पत्रों में हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापन जारी किये गये। • विभाग की वेबसाइट पर योजना पोस्ट कर दी गई है।
कार्यसूची मद 10**:** अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य संबंधित मामला।	• शासी निकाय ने अतिरिक्त एजेंडे के रूप में डीईपीडब्ल्यूडी के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एनएचएफडीसी के प्रस्ताव को लिया। एनएचएफडीसी ने दिल्ली और गुवाहाटी में दीर्घकालिक आधार पर दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए वित्तीय सहायता मांगने के लिए राष्ट्रीय निधि के तहत एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सीएमडी एनएचएफडीसी ने अपने प्रस्तावों की व्याख्या करते हुए कहा कि एनएचएफडीसी दिव्यांग कारीगर/उद्यमी के उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों (यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और उत्तर पूर्व) में किराए/लीज/पट्टे पर प्रदर्शनी आउटलेट किराए पर लेगा। शुरुआत में, निगम 26.53 लाख रुपये की अनुमानित लागत से दो स्थानों यानी दिल्ली और गुवाहाटी में शुरू करेगा। • शासी निकाय की इच्छा व्यक्त की थी कि पूर्व, पश्चिम और दक्षिण क्षेत्र में भी ऐसा एक केंद्र और एक स्थान स्थापित किया जाए। इसके अलावा शासी निकाय ने यह भी निर्णय लिया कि इन केंद्रों के साथ-साथ कौशल विकास इकाई भी विकसित की जा सकती है क्योंकि विपणन केंद्रों को कौशल इकाइयों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। • यह नोट किया गया कि आरपीडब्ल्यूडी नियम, 2017 के नियम 42(5) (घ) के अनुसार, निधि का उपयोग ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है जो शासी निकाय द्वारा तय किए जा सकते हैं। तदनुसार, शासी निकाय ने दिव्यांगजनों के उत्पादों की प्रदर्शनियों/विपणन के लिए 5 केंद्र शुरू करने के लिए 50 लाख रुपये और इन केंद्रों के साथ-साथ कौशल विकास इकाइयां स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया। • शासी निकाय ने निर्णय लिया कि सचिवालय इस कार्यक्रम के तहत एनएचएफडीसी की इन गतिविधियों की प्रगति की निगरानी करेगा।

4. अध्यक्ष को धन्यवाद देने के साथ बैठक समाप्त हुई।

*****

अनुबंध -I

प्रतिभागियों की सूची

क	**शासी निकाय के सदस्य**	
1	सुश्री शकुंतला डी. गामलिन, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी	अध्यक्ष
2	डॉ. प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी	संयोजक और सीईओ
3	श्री संजय पांडे, संयुक्त सचिव एवं एफए, डीईपीडब्ल्यूडी	सदस्य
4	श्री सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
5	श्री वेन्नापूसा श्रीनिवासुलु रेड्डी (पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियों का प्रतिनिधित्व)	सदस्य
6	श्री अमित सागर शर्मा (बौद्धिक दिव्यांगता का प्रतिनिधित्व)	सदस्य
7	श्री सुरेन्दर सिंह, डीएस, वित्तीय सेवा विभाग	सदस्य
8	श्री अरुण कुमार, अवर सचिव, वित्तीय सेवा विभाग	सदस्य
ख	**विभागीय अधिकारी**	
9	श्री मनोज साहू, प्रबंधक (एस एंड पी), एनएचएफडीसी	
10	श्री शंकर शर्मा, प्रबंधक (कार्यक्रम), एनएचएफडीसी	
11	श्री डी.के. पंडा, अवर सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी	

अनुबंध –II

कार्यसूची बिंदु सं. 2 **के अनुसार राष्ट्रीय निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नई योजनाओं/दिशा-निर्देशों के अंतर्गत जारी की जाने वाली निधियों का ब्यौरा।**

क्र.सं.	**संगठन/व्यक्तिगत दिव्यांगजन**	**15.01.2019 को आयोजित स्क्रीनिंग समिति की सिफारिश**	**शासी निकाय का अनुमोदन**
क.	नेशनल हैंडिकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कार्पोरेशन (एनएचएफडीसी), नई दिल्ली	सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला 2019 में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता के लिए सिफारिश, इस प्रकार है:- • 10 स्टॉल के लिए स्टॉल प्रभार - 14.75 लाख रुपये • 15 पीडब्ल्यूडी और उनके एस्कॉर्ट के लिए टीए /डीए (वास्तविक के अनुसार)	**17,75,450/- रुपये** नीचे दिए गए विवरण के अनुसार जारी किए जाएंगे क) 10 स्टॉल के लिए 14.75 लाख रुपये का स्टॉल प्रभार ख) 15 दिव्यांगों और उनके एस्कॉर्ट्स के लिए टीए/डीए के लिए 2,86,202/- रुपये और ग) 14,248/- रुपये का विविध व्यय। (भाग लेने वाले दिव्यांगजनों की संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करने और वास्तविक बिल/वाउचर/दस्तावेज प्राप्त होने पर उन्हें टीए/डीए का वितरण करने पर निधियां जारी की जाएंगी।)
ख.	दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए राहत केंद्र, मणिपुर	राज्य/स्थानीय प्राधिकारी से पत्र/मंजूरी प्राप्त होने की शर्त पर **7,49,500/- रुपये** तक की वित्तीय सहायता के लिए सिफारिश की गई है।	अक्टूबर, 2019 में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए **7,49,500/- रुपये** जारी किए जाएंगे, जो हमारे सीआरसी गुवाहाटी से पुष्टि प्रमाण पत्र के अधीन है। सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की पुष्टि और प्रस्तुत करने पर कुल निधियों का 50%अग्रिम के रूप में जारी किया जाएगा तथा शेष 50% विस्तृत रिपोर्ट और यूसी प्रस्तुत करने के बाद जारी किया जाएगा।
ग.	श्री सतेंद्र सिंह, तैराक, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।	**निम्नलिखित के अधीन वित्तीय सहायता के लिए सिफारिश**: 18 अगस्त, 2019 को निम्नलिखित वित्तीय स्थिति के साथ होने वाले शपथ पत्र की स्वीकृति:- कार्यक्रम की पूरी अवधि के लिए आने-जाने का हवाई टिकट (सबसे छोटे मार्ग में इकोनॉमी क्लास) तथा बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए प्रति दिन 4000/- रुपये	श्री सतेंद्र सिंह को **3,84,000/- रुपये की राशि जारी करना** (हवाई टिकट के लिए 3.20 लाख रुपये + 64000/- रुपये आवास सहायता 4000/- प्रति दिन की दर से 16 दिनों के लिए)। इसके अलावा, शासी निकाय ने 44,400/- रुपये के पंजीकरण शुल्क के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया।